FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

हुकमाराम बनाम हेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० भू० अधि० 251 (A) नं. 211/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/11/15	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा एड० ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/12/15 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO)	1439 9/11/15
09/12/15	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 17, 21, 23 की ओर से वकील श्री शिवकाराम सियाग द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 व 22 तथा 24 से 27 की ओर से वकील श्री पूनमराज बांभणिया द्वारा वकालतनामा व जवाब मय परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 15, 16, 18 से 20 बावजूद तामिल अनुपस्थित। जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: अप्रार्थीगण संख्या 17, 21, 23 के वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली वास्ते दिनांक 12/01/16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	विप्रार्थी सं. 17, 21, 23 की ओर से undertaking 9/12/15 Adv (शिवकाराम सियाग) एड.

Scanned by CamScanner

12/01/16 वकुलाम फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 17,21,23 की ओर से वकालातनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। आईन्दा पेश करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 02/03/16 को पेश हो। पुन: अप्रार्थी संख्या 17 व 23 की ओर से वकील श्री शिवाराम सियाग द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अत: पत्रावली मियाद दिनांक को पेश हो।

02/03/16 पत्रावली पेश हुई।
वकुलाय फरीकेन उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी अवकाश में है।
अत: पत्रावली इल्तवा होकर
दिनांक 21/03/16 को पेश हो।

21/3/16 वकुलाम फरीकैन उप०। अप्रार्थी सं. 17 व 23 की ओर से जवाब पेश नहीं किया अवसर चाहा अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/6/16 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

23/06/16 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट में रखी गई। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 17 व 23 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। आईन्दा पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/09/16 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/16	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अत: प्रार्थना-पत्र O-7, R-11 के जवाब हेतु पत्रावली अदालत दिनांक 17/10/16 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
17/10/16	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC का जवाब व प्रार्थना-पत्र वास्ते टंकणीय भूल सुधारने बाबत का प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अत: O-7, R-11 के प्रार्थना-पत्र बहस हेतु पत्रावली अदालत दिनांक 16/11/16 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
16/11/16	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ता O-7, R-11 पर बहस करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/11/16 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
30/11/16	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता O-7, R-11 के प्रार्थना-पत्र पर बहस करना चाहते हैं एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली अदालत दिनांक 19/12/16 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

19/12/16 पक्षकारान उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता O-7, R-11 के प्रार्थना-पत्र पर बहस करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के लिखित जवाब दिये गये। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 04/01/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

04/01/17

आदेश

पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत मंगवाने मौका रिपोर्ट मय दस्तावेजों की प्रति ओरिजनल नक्शा ट्रेसिंग खेत खसरा नम्बर 503/136 मौजा ... की हाजरी तहसील रिया के पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7, R-11 पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त अनवान का प्रार्थना-पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार नहीं है तथा प्रार्थीगण की भूमि अलग-अलग है। जिस हेतु भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहा गया है वो भी भूमि अलग-अलग है। तथा अलग-अलग खातेदारों के नाम से दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण ने अलग-अलग खातेदार होते हुए भी संयुक्त रूप से आवेदन पेश किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत विपरीत होने से उक्त आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने से तथा पक्षकारों का कुसंयोजन करने से उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है। सव्यय खारीज फरमाया जावे। तथा प्रार्थी वकील द्वारा बताया कि न्यायालय में जो प्रार्थना-पत्र 251 ए रा० का० अधि० के अन्तर्गत पेश किया जाता है उसमें

सहायक कलेक्टर
आदेश

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सरसरी तौर पर विप्रार्थीगण को नोटिस देकर उनके जवाब व उससे पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाकर तत्काल प्रभाव से निर्णय करते है ऐसे प्रार्थना-पत्रों में वाद की तरह कार्यवाही नहीं होती है जबकी ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्रकरणों में आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० प्रार्थना-पत्र कानूनन पेश नहीं किया जा सकता है आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रार्थना-पत्र केवल वाद पत्रों के मामलों में ही पेश किये जा सकते है इसलिए विप्रार्थीगण ने जानबूझकर इस प्रकरण को लम्बित करने कि नियत से व न्यायालय का समय बरबाद करने के उद्देश्य से गलत तथा नियम विरूद्ध प्रार्थना-पत्र पेश किया है जो मय खर्चा के निरस्त करने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

अत: दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा की ~~प्रार्थना-पत्र में~~ किसी भी प्रकार के आवेदन में O-7, R-11 का प्रार्थना-पत्र ~~प्रकोष्ठक~~ मेन्टेनेबल नहीं होने से विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 को खारीज किया जाता है। पत्रावली में तहसीलदार गिर्वा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जावे / पत्रावली विप्रार्थी संख्या 17, 21, 23 के जवाब हेतु दिनांक 18/01/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

18/01/17 अधिवक्तागण रेफरेन्स में है। तहसीलदार गिर्वा को मौका रिपोर्ट हेतु पूर्व में लिखा नहीं गया था, तहसीलदार गिर्वा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली आइंदा दिनांक 06/02/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

1/03/17

06/02/17 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 17, 21 व 23 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। [illegible] तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार पेश आगामी दिनांक 22/02/17 को पेश हो।

22/02/17 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 14 व 22 से 27 स्वयं उपस्थित होकर सहमति-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 17 व 21 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया कोई ना पेश करना चाहते हो अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/02/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

28/02/17 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते इकरामिया भूल सुधारने बाबत का जवाब विप्रार्थी संख्या 17 द्वारा प्रस्तुत किया गया, तथा विप्रार्थी संख्या 15 व 16 की ओर से वकील रिछपालराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते सुनने मुजरिय एकतरफा कार्यवाही का प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी वकील द्वारा No objection किया गया। साथ ही विप्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया की मौका रिपोर्ट में तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिड़ा द्वारा तैयार नहीं कर तहसीलदार गिड़ा के प्रतिहस्ताक्षर किये गये हैं इसलिए तहसीलदार गिड़ा स्वयं से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। विप्रार्थी वकील के निवेदन पर तहसीलदार गिड़ा को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 14/03/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/03/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने बाबत का प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने हेतु तहसीलदार गिड़ा को पूर्व में लिखा जा चुका है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के प्रार्थना-पत्र को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली मौका रिपोर्ट के इन्तजार में दिनांक 17/04/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/04/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 17 के वकील द्वारा जवाब व 21 की ओर से वकालातनामा पेश नहीं किया गया। आईन्दा पेश करना चाहते हैं। अन्तिम अवसर दिया जाता है। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली [illegible] मूल प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बहस हेतु दिनांक 24/04/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/04/17	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा लेकर दिनांक 03/05/17 को पेश हो।	
03/05/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 17 के वकील द्वारा जवाब व 21 की ओर से वकालातनामा पेश नहीं किया गया। आईन्दा पेश करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/06/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

22/06/17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टीटा की ढाणी में रखी गई, प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 15 से 17 व 21 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 15 से 17 व 21 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था। विप्रार्थीगण संख्या 15 से 17 व 21 के का जवाब बंद किया जाता है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मूल आवेदन व मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन धारा 251(A) RTAct का स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मुसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हीरा की ढाणी

पीठासीन अधिकारी श्री हेताराम चौहान, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या 211/2015 **दिनांकः—22.06.2017**

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
हुकमाराम पुत्र अमराराम वगैरा		हेमाराम पुत्र अनाराम वगैरा

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 —क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री जगदीश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री पूंजराज बामणिया अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 14, 22 व 24 से 27 की ओर से
3. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 15, 16, 17, 21, व 23 की ओर से

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

दिनांकः— 22.06.2017

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 503/136 ग्राम हीरा की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 134 में से होकर 15 फीट चौडा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 14, 22 व 24 से 27 की ओर से वकील श्री पुंजराज बामणिया द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। तथा विप्रार्थीगण सं. 15, 16, 17 व 23 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा विप्रार्थी संख्या 21 की ओर से अन्डरटेकिंग ली गई। विप्रार्थी 15, 16, 17, 21 व 23 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जिसका जबाव प्रार्थी वकील द्वारा दिया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सूनी जाकर विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया गया।

प्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिड़ा द्वारा दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 15, 16, 17, 21 व 23 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पूनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की मौका रिपोर्ट में तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया था। परन्तु मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिड़ा स्वयं द्वारा तैयार नही कर तहसीलदार गिड़ा के प्रति

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned with CamScanner

हस्ताक्षर किये गये है इसलिये तहसीलदार गिड़ा स्वयं से पूनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें। विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पूनः मंगवाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा स्वयं से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 14, 22 व 24 से 27 स्वयं व उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर ईकबाली जबाव मय परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा साहे गये रास्ते हेतु सहमति जाहिर की गई तथा साथ ही सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथा विप्रार्थी संख्या 21 की और से वकालतनामा व विप्रार्थी संख्या 15 से 17 की और से जबाब पेश नही किया गया। उक्त विप्रार्थीगणों को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही करने पर उक्त विप्रार्थीगणों का जबाब बन्द किया गया। तथा विप्रार्थी संख्या 23 द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा साहे गये रास्ते में सहमति प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रार्थी वकील द्वारा उक्त आवेदन में टंकणीय भूल सुधारने बाबत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति विप्रार्थी वकील को दी गई, विप्रार्थी वकील द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रार्थना पर दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवेदन में टंकणीय भूल सुधारने बाबत को स्वीकार किया गया है। तहसीलदार गिड़ा स्वयं द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 17.04.2017 को पूनः प्राप्त हुई। तहसीलदार गिड़ा द्वारा हल्का पटवारी हीरा की ढाणी व सरपंच हीरा की ढाणी को साथ रख कर मौका स्थल का निरीक्षण किया तथा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 503/136 में आने–जाने हेतु उससे लगते हुए खसरा संख्या 134 में से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वर्तमान में वैकल्पिक मार्ग नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है तथा प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 2112 फिट व चौड़ाई 15 फिट है अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 31680 वर्गफीट यानी 01–16 बीघा बनता है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त रास्ता कायम करने के प्रतिवेदन पर वकील प्रार्थी तथा वकील विप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 503/136 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते पर से होकर ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। तथा विप्रार्थीगण द्वारा आवागमन में बाधा पैदा करने पर ही प्रार्थी को विधिनुसार रेकर्ड में रास्ता कायम करने हेतु यह आवेदन पेश करना पडा है, इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। यह भी निवेदन किया है कि अगर प्रार्थी अपने परिवार को अन्यत्र आबाद भी कर दे तो भी प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 503/136 तक तो जाना ही होगा और उसके लिए विकल्प में एक मात्र प्रस्तावित रास्ता ही है। साथ ही विप्रार्थी संख्या 1 से 14, 22 व 24 से 27 की ओर से उक्त रास्ते हेतु सहमति जाहिर कर बताया की विप्राथीगण संख्या 1 से 14, 22 व 24 से 27 को भी उक्त रास्ते से ही आवागमन करना पड़ता है। तथा शेष विप्रार्थी संख्या 15 से 17 व 21 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा अन्त में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 2112 फिट लम्बाई व 15 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाये, प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

हमने प्रार्थी के अधिवक्तागण को सुना उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 503/136 तक पहुंच सके।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हीरा की ढाणी के खसरा नम्बर 134 में से होकर खसरा नम्बर 503/136 तक पहुंचने हेतु 2112 फिट लम्बाई व 15 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाता है :—

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा
हीरा की ढाणी	134	01.16
योग	1	01.16

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 19500/— से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थीगण को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 01.16 बीघा की राशि 70200/— तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि का नियमानुसार खातेदार हेमाराम पुत्र अनाराम वगैरा को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प कोर्ट हीरा की ढाणी स्थान अटल सेवा केन्द्र हीरा की ढाणी मजमें आम में सुनाया गया। मौका रिपोर्ट का नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर क्रम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी
बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned with CamScanner